

ई-निविदा आमंत्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद रामपुर में नदी तल स्थित निजी भूमि में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार आर0बी0एम0/साधारण बालू के खनन क्षेत्रों को उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 23 के उपनियम (2)(ड.) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध घोषित करते हुए शासनादेश सं0-2026/86-2019-57(सा)/2017, दिनांक 30 अगस्त 2019 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त नियमावली के अध्याय 4 के प्राविधानों के अन्तर्गत 06 माह की अवधि के लिए ई-टेंडर के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है

उ0प्र0 शासनादेश सं0-2026/86-2019-57(सा)/2017, दिनांक 30 अगस्त 2019 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद रामपुर में तहसील स्वार में स्थित ग्राम पट्टीकला के गाटा सं0 726मि0 रकबा 0.522हे0 व गाटा सं0 726मि0 रकबा 0.735हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 1.257हे0, व तहसील स्वार ग्राम पट्टीकला के गाटा सं0 587मि0 रकबा 2.5630हे0, में उपलब्ध आर0बी0एम0/साधारण बालू-1 को खनन परिहार पर उठाये जाने हेतु ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से व्यवस्थापन हेतु कार्यालय विज्ञापित संख्या 1769/ख0लि0/पट्टा निविदा दिनांक 15.07.2025 के द्वारा www.etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रण हेतु विज्ञापित जारी की गयी। आमंत्रित ई-निविदा दिनांक 28.07.2025 समय प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 01.08.2025 समय सायं 05:00 बजे तक के सापेक्ष प्राप्त ई-निविदा को दिनांक 02.08.2025 को उपरान्ह 03:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर रामपुर में गाठित निविदा समिति के सदस्यों द्वारा प्राप्त निविदा का टेक्निकल बिड खोला गया। ई-निविदा के तालिका 01 के क्रम संख्या 01 व 02 पर क्रमशः 03, 03 बिड प्राप्त हुए परन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा कार्यालय में आवेदन शुल्क की मूल डी0डी0, ई0एम0डी0 की धनराशि व अन्य वांछित प्रपत्रों की मूल/छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध न कराये जाने के कारण टेक्निकल बिड नहीं खोला गया।

उपरोक्तानुसार कार्यालय विज्ञापित संख्या 1769/ख0लि0-पट्टा निविदा/2025 दिनांक 15.07.2025 के तालिका 01 के क्रम संख्या 01 व 02 के क्षेत्रों की पुनः विज्ञापित किये जाने हेतु टेंडर कमेटी द्वारा संस्तुति की गयी जिसके क्रम में दिनांक 01-11-2025 समय सुबह 10:00 बजे से दिनांक 07-11-2025 समय सायं 05:00 बजे तक क्षेत्रों के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित अवधि के पश्चात् ई-निविदाओं को जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 10-11-2025 को खोला जाएगा।

तालिका 1-क्षेत्रों का विवरण:-

क्र 0 स 0	भूस्वामी/ भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या I/ खण्ड संख्या I	क्षेत्रफल (हे0 में)	जियो कोआर्डिनेट		उप खनिज का नाम	खनन योग्य अनुमा नत उपखनि ज की मात्रा (घ0मी0 में)	आर0 बी0एम0 / साधारण बालू की प्रचलित दर (रु0में)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु0 में)	आरक्षित मूल्य का 25% अर्नेस्ट मनी (रु0 में)
						अक्षांश	देशान्तर					
1	श्री हरमेल सिंह पुत्र श्री चानन सिंह	स्वार	पट्टी कला	587 मि0	2.5630	A	29.138147° N 79.030384° E	आर0बी0 एम0	58050 घन मी0	110	63,85,500/-	15,96,375/-
						B	29.136114° N 79.033596° E					
						C	29.135727° N 79.033221° E					
						D	29.137856° N 79.030075° E					
2	श्री धर्मजीत सिंह पुत्र श्री हरमेल सिंह	स्वार	पट्टी कला	726 मि0 0.5220 कुल 726 मि0 रकबा- 1.257	0.7350	A	29.135478° N 79.032987° E	आर0बी0 एम0	33120 घन मी0	110	36,43,200/-	9,10,800/-
						B	29.135943° N 79.032363° E					
						C	29.135833° N 79.032256° E					
						D	29.136872° N 79.030803° E					
						E	29.137172° N 79.031086° E					
						F	29.135727° N 79.033221° E					

- परिहार की अवधि में मानसून सत्र (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) की अवधि सम्मिलित नहीं मानी जाएगी।
- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी:-
 - विज्ञापित संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।
 - विज्ञापित में क्षेत्र का क्रमांक।
 - निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) आधार कार्ड ई-मेल, पैन नम्बर, जी0एस0टी0 पंजीयन नम्बर एवं मोबाईल नं0। (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिये आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये 'उनका पंजीकरण का विवरण)
 - क्या आवेदक भू-स्वामी है।(हाँ/नहीं)
 - उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हो-
 - भूस्वामी का नाम-
 - उपखनिज का नाम-
 - तहसील का नाम-
 - खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम-
 - गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या-
 - क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)-
 - विज्ञापित में दी गयी खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा-
 - ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0 15,000/- के जमा का चालान।

- छ. प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)
- ज. खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जाने वाली ई-निविदा की दर (ई-निविदा की दर उस खनिज के लिए नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।)
- झ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खननअदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक नरहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।
- ट. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
- ठ. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो ई-निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।
4. बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा।
5. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-3 में वांछित अभिलेखों/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा।
6. ई-निविदा आमंत्रण की तिथि के अन्दर ई-टेंडर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी।
7. यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि० लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई-टेंडरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
- क) ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
- ख) ई-टेंडरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/ फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।
- ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई-टेंडर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
8. निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई-टेंडरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:-
- i. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर लॉगिंग आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेंडर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।
- ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई-टेंडर पोर्टल पर किया जाना होगा।
- iii. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेंडर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।
- v. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा संबंधित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।
- v. निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा को ई-टेंडर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर 3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 फाईल बनायी जानी होगी।
- vi. ई-टेंडर डाक्यूमेंट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाईन" (Pay Offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेंट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री-सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।
- vii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्री बिड अर्नेस्ट मनी से संबंधित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।
- viii. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्री बिड अर्नेस्ट मनी को टेंडर के साथ जमा किये जाने से संबंधित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।
- ix. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई-निविदा रि-बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेंडर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई-टेंडर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।
9. ई-टेंडर साईट का उपयोग करने के लिए अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉड बैंड इन्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स, विण्डोज एक्सपी सर्विस पैक-3 या उच्च आपरेटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इन्टरनेट एक्सप्लोर वर्जन 7.0 या अधिक, के साथ होना चाहिए। इसके लिए इन्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती हैं।
10. जिला स्तर पर ई-टेंडरिंग से सम्बन्धित टेंडर्स अपलोड किये जाने, टेंडर्स खोले जाने इत्यादि कार्य हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/ स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि०, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
11. भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07 (सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से

- अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। ई-निविदा प्रक्रिया में भूस्वामी को भाग लेना आवश्यक नहीं है परन्तु भूस्वामी/भूस्वामियों के पक्ष में खनन परिहार स्वीकृत होने की दशा में ई-निविदा के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 03 में दी गयी समस्त शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।
12. विज्ञापित के अनुसार ई निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि उपरान्त भूस्वामी के प्रथम इनकार हेतु निर्धारित अवधि 07 कार्य दिवस के पश्चात् प्राप्त ई निविदाओं को दिनांक 27.06.2025 अपराह्न 02:00 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गाठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।
 13. भूस्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नहीं करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक घन मी0 हेतु) चयनित आवेदक द्वारा भू-स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू-स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भूस्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में किया जाना अनिवार्य होगा।
 14. सफल निविदाकर्ता/भूस्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
 15. लेटर आफ इन्टेन्ट निर्गत होने के 03 कार्यदिवस में ई-निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति तथा 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में, जिसमें अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भूस्वामी द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत परिहार अवधि के शेष अग्रिम माहों में समान प्रतिशत के रूप में परिहारधारक द्वारा भुगतान की जायेगी। यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक न हो तो प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि की समाप्ति उपरान्त एक माह के अन्दर परिहार धारक को वापस कर दी जायेगी।
 16. जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
 17. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
 18. सफल निविदाकार/भूस्वामी परिहार हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
 19. यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा ही परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई-निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।
 20. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।
 21. परिहारधारक द्वारा मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
 22. सफल ई-बोलीदाता/निविदादाता को खनन क्षेत्र में पहुँच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा तथा यदि तृतीय पक्ष द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, तो विवाद के निस्तारण हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
 23. उपरोक्त विज्ञापित क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है।
 24. सफल निविदाकार/भूस्वामी को अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड जनपद रामपुर एवं प्रभागिय वनाधिकारी जनपद रामपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गयी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
 25. सार्वजनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे/रेलवे लाइन, निवासित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बने पुल से न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा।
 26. DSR में SEIAA द्वारा अंकित शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।


 (जोगिन्दर सिंह)
 जिलाधिकारी, रामपुर।

संख्या /ख0लि0-पट्टा निविदा/2025 तद्दिनांक।
 प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश, खनिज भवन लखनऊ।
3. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
4. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बरेली।
5. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0 अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनपद रामपुर।
7. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद रामपुर।

(जोगिन्दर सिंह)
 जिलाधिकारी, रामपुर।